गोपनीय

क्रम संख्या–8

शा०सं० 1727/43-2—2000-14-2(28)-2000

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2000

विषयः–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा० मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रायः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा मा० मंत्रीगण को सीधे पत्र सम्बोधित कर दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मा० मंत्रीगण को सीधे पत्र देने की परम्परा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

2—इस प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा० मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति/कृत कार्यवाही से मा० मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/सम्बन्धित विभाग के सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग पत्रावली के माध्यम से सम्बन्धित मा० मंत्री को स्थिति से अवगत करायें।

3—कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता यदि संज्ञान में आती है तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 1727(1)/43-2—2000-14-2(28)-2000, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
एच० एल० बिरदी,
प्रमुख सचिव।